Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 30, 2025 (MAGHA 10, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2025

संख्या एस–1/ठेकेदार सक्षम युवा योजना/2024/1694.– हरियाणा के राज्यपाल को **'ठेकेदार सक्षम युवा योजना'** को अधिसूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) की मेरिट सूची में योग्य पात्र ग्रुप 'सी' और 'डी' नौकरियों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षित और कुशल बनाना है ताकि उनके व्यावसायिक विकास के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए व्यवसाय के अवसरों को खोल सकें, जिससे उन्हें बेहतर उद्यमी अवसर मिल सकें और उन्हें ठेकेदार के रूप में काम करने में सक्षम बनाया जा सके।

योजना के उद्देश्यः

- इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा धारक बेरोजगार युवाओं को सैद्धांतिक और साथ ही नौकरी प्रशिक्षण (ON THE JOB TRAINING) देकर प्रशिक्षित और कुशल बनाना ताकि उन्हें कार्य ठेकेदारों के रूप में काम करके स्वरोजगार के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके।
- प्रतिभा की पहचान एवं सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने में सहायता करना।
- स्वरोजगार एवं उद्यमिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जो व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करके आर्थिक विकास में योगदान करने का अधिकार देता है।
- हरियाणा राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एक सुसंगत एवं योग्य नीति तैयार करना।

लक्ष्यः

प्रथम चरण में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि उनके कौशल को उन्नत किया जा सके, जिससे वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए नए व्यवसाय के रास्ते खोल सकें और इस प्रकार कार्य ठेकेदार के रूप में काम करके आत्मनिर्भर बन सकें।

पात्रताः

लाभार्थी	इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा योग्यता रखने वाले ग्रुप 'सी' और 'डी' नौकरियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) की मेरिट सूची में योग्य उम्मीदवार।
पहचान	परिवार पहचान पत्र, हरियाणा राज्य के निवासी।
आयु	18 से 40 वर्ष ।
योग्यता	इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech./Diploma

हितधारक:

- कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ।
- हरियाणा कौशल विकास मिशन ।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ।
- राज्य सरकार के विभाग ।
- पंचायती राज संस्थान ।
- नगर पालिकाएं ।

कार्यान्वयन रणनीति:

- पात्र और इच्छुक इंजीनियर युवाओं के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल https://stt.itiharyana.gov.in/ लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है।
- पंजीकृत और योग्य युवाओं का विवरण श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ साझा किया जाएगा जो प्रशिक्षण प्रदाता होगा और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से प्रशिक्षण बैच बनाने और प्रशिक्षण केंद्र के चयन का निर्णय लेगा।
- यदि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं होगा तो कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र तय करेगा।
- डिप्लोमा/डिग्री धारक इंजीनियर युवाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें सैद्धांतिक और साथ ही सरकारी विभागों के साथ नौकरी प्रशिक्षण (on the job training) शामिल होगा जो उन्हें ठेकेदार के रूप में काम करने में सक्षम बनाएगा।
- हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान PAN, TAN, GST, TIN आदि प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। जो इन आवश्यकता को पूरा करेंगे, केवल उन्ही युवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के सफल समापन उपरान्त, युवाओं से एक मानकीकृत तृतीय–पक्ष मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी और उन्हें श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। केवल प्रमाणित युवा ही इस योजना के तहत सरकारी लाभ के लिए पात्र होंगे।
- प्रशिक्षित प्रमाणित युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए सभी जरुरी आवश्यकताओं को युवाओं द्वारा स्वयं पूरा किया जाएगा।
- प्रत्येक 100 प्रशिक्षित युवाओं को आरंभिक चरण के दौरान उनकी समस्याओ/आवश्यकताओं को समझने के लिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक संरक्षक सौंपा जाएगा। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के माध्यम से सरकार क्रेडिट गारंटी के साथ एक वर्ष के लिए 3 लाख तक का ऋण प्रदान करेगी। सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण पर पूरी ब्याज लागत भी वहन करेगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवा 25 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत से पंचायती राज संस्थान और नगर पालिकाओं के कार्य कर सकेंगे।

कार्यक्रम प्रारूप:

प्रशिक्षण कार्यक्रम को 3 महीने के मॉड्यूलर कार्यक्रम के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिसे आवासीय और गैर–आवासीय तरीके में मिश्रित शिक्षण प्रारूप में वितरित किया जाएगा, जिसमें सैद्धांतिक और साथ ही नौकरी प्रशिक्षण (on the job training) शामिल होगा।

सैद्धांतिक/कक्षा शिक्षण :

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 45 दिनों का कक्षा/सैद्धांतिक प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतू प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सरकारी सेवानिवृत SDO, XEN, Architect को मानव संसाधन लगाने हेतू प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण केन्द्रों को अनिवार्य रूप से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायित किया जाएगा, जिसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रत्यायन और अनुमोदन नीति निर्धारित की जाएगी, जिसके लिए एक समिति गठित की जा सकती है, जिसमें कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से श्रेणी–क प्रधानाचार्य के पद का अधिकारी प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होगा। सैद्धांतिक/कक्षा शिक्षण के दौरान, युवाओं को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

व्यावहारिक शिक्षा:

जैसा कि प्रयोगात्मक और व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में 45 दिनों का ऑन जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। उम्मीदवार को on the job training दिलवाई जाएगी और उन्हें PWD, Panchayati Raj, PHED, Mandi Board, Irrigation आदि सरकारी विभागों के J.E./ SDO/ XEN के साथ प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। नौकरी प्रशिक्षण (on the job training) के दौरान युवाओं को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

पाठ्यक्रमः

पाठ्यक्रम बहु–विषयक क्षेत्रों की व्यापक शिक्षा प्रदान करेगा, लेकिन निम्नलिखित विषयों को समझने तक सीमित नहीं होगाः

- वास्तुकला चित्रण।
- वास्तुकला और संरचनात्मक चित्र।
- भूमि/साइट सर्वेक्षण/साइट योजना।
- रूप रेखा।
- Measurement Book भरना।
- खरीद नियम/दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं।
- Financing/Accounting/GST /Tally
- MS-OFFICE (Excel & Word)
- निविदा प्रक्रिया।
- श्रम कानून/प्रबंधन ।
- बाजार दर/रणनीति/सरकारी अनुसूची दरों।
- Soft Skill/ Entrepreneurship/ Managerial Skills
- Haryana Schedules of Rates और लागू करना।
- खरीद पोर्टल चलाना और बोली दस्तावेज भरना।
- निविदा बातचीत कौशल।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व विस्तृत पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतू कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करेगा।

मुख्य शिक्षण परिणामः

- बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिकी तंत्र की समझ प्राप्त करना।
- सरकारी खरीद प्रक्रियाओं/अनुबंधों/नीतियों की समझ।
- श्रम कानूनों/प्रबंधन की समझ।
- निविदा प्रक्रियाओं/सरकारी अनुसूची दरों की समझ।
- Financing/ Accounting/ GST की समझ।
- नेतृत्व और टीमवर्क कौशल का निर्माण ।
- परिवर्तन को प्रबंधन करने की क्षमता सीखना।
- व्यावसायिक कौशल विकसित करना और निर्णय लेने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना।
- इंजीनियरिंग उद्योग में उभरते रुझानों को पहचानना और अपने संगठन के लिए उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना।
- अनुभवात्मक अध्ययन।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना।

वित्तीयः

युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के तहत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण लागत (आवासीय और गैर–आवासीय) वहन करेगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय इस प्रकार हैः

विवरण	लागत/राशि (₹)	खर्च (₹)
प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान।	26,000/– रु. निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रति उम्मीदवारः– • 3 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं के लिए कोई प्रशिक्षण लागत नहीं है और इस राशि का वहन कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। • 3 लाख से 6 लाख के बीच वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं के लिए 50% प्रशिक्षण लागत युवा द्वारा और शेष शुल्क राशि का वहन कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। • 6 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं द्वारा पूर्ण प्रशिक्षण शुल्क वहन किया जाएगा।	26,000 X 10,000 = 26,00,00,000 (10,000 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण लागत, 26,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु)

आवास प्रभार का भुगतान।	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदान की गई आवास सुविधा की लागत वहन करेगाः – • 3 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा पूर्ण आवास शुल्क वहन किया जाएगा। • 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा 50% लॉजिंग शुल्क वहन किया जाएगा। • 6 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं द्वारा आवास का पूरा शुल्क वहन किया जाएगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग नीचे उल्लिखित दरों (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Common Cost Norms) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त आवास सुविधा की लागत वहन करेगाः– I. एक्स श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 375/– II. वाई श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 315/– III. जेड श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 250/– IV. ग्रामीण क्षेत्रों और नगरपालिका/नगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किए गए किसी भी क्षेत्र के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 220/–	375 X 5000 X 90 = 1,68,750,000 (50% प्रशिक्षुओं के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रति 375 आवास शुल्क)
ऋण पर ब्याज छूट।	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर सालाना 8% की दर से ब्याज वहन किया जाएगा।	24,000 X 10000 = 24,00,00,000
कुल (रुपये में)		**66,87,55,000 (रु. 66.88 करोड़)**

दंडात्मक कार्रवाईः

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत तथ्यों के आधार पर सहायता का दावा किया है, तो आवेदक पर प्रशासनिक सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा द्वारा उचित समझे जाने वाला जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन/सहायता के अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा।

व्याख्या/स्पष्टीकरणः

प्रशासनिक सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा इस योजना के प्रावधानों में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या/स्पष्टीकरण करने तथा उन्हें दूर करने और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सक्षम होंगे।

न्यायालय का क्षेत्राधिकारः

इस योजना के तहत दिशानिर्देश प्रस्तावों के चयन और अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न कोई भी विवाद पंचकुला अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

विवेक अग्रवाल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग।